न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – महेन्द्र सिंह रतनू

प्रकरण संख्याः– 2023/8

राज. सरकार

बनाम

1. रामकुमार पुत्र हरिसिंह मेघवाल निवासी रातुसर तहसील नोहर
2. भीमराम पुत्र भादरराम निवासी रातुसर तहसील नोहर

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः–13.09.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का श्योरानी ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण रामकुमार एवं भीमराम द्वारा ग्राम रातुसर के के खसरा नं. 13 किस्म गैर मु0 चौब की भूमि पर अप्राथीगण संख्या 01 रामकुमार पुत्र हरिसिंह मेघवाल नि0 रातुसर द्वारा नाजायज काश्त रक्बा 0.07 है0 ग्वार, 02 भीमराम पुत्र भादरराम नि0 रातुसर द्वारा नाजायज काश्त रक्बा 0.06 है0 मोठ काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर सयुक्त रूप से अपना एक जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण द्वारा दिया गया जवाब सतोषजनक प्रतीत नही होता है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा गैर मु0 चोब की भूमि पर नाजायज रूप से काश्त करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि 170/– से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक जबरासर को आदेश जारी हो कि उक्त भूमि पर खड़ी फसल को अविलम्ब बहक सरकार कुर्क की जाकर कुर्क उपरान्त फसल की निलामी करवाई जाकर बाद अनुमोदन खजानाराज जमा करावे एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर अलग से बेदखली रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का श्योरानी को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह रतनू R.T.S.)
तहसीलदार (राजस्व) नोहर